नम्बर व अहकाम हुक्म की मे जारी	तारीख हुक्म	अलीना V/S श्यामकंवर हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रा०पत्र 390/2022 (2022/569)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/6/24	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। संक्षिप्त विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विरुद्ध विपक्षी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए RTA इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की कृषि आराजीयात ग्राम पिपलियाखुर्द प०ह० सोनगर तहसील कपासन के खाता संख्या 118 में अंकित आराजी संख्या 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151 कीता 16 रकबा 6.76 हे. प्रार्थी संख्या 01 से 11 के नाम पर तथा मौजा पिपलियाखुर्द के ही खाता संख्या 67 में अंकित आराजी संख्या 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 कीता 09 रकबा 3.02 हे. दर्ज रेकार्ड है। खाता संख्या 116 में अंकित आराजी संख्या 180 रकबा 1.5000 हे. विपक्षी सं. 01 श्यामकंवर के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण विपक्षी की आराजी संख्या 180 पर के वर्षों पूर्व के रास्ते से आते जाते है। खसरा नं. 180 की पूर्व से पश्चिम दिशा पर बने 180 के भाग से होते हुए खाते दार 186, 187 की उत्तर से दक्षिण दिशा की मेड के सहारे-सहारे बने हुए रास्ते से अपनी कृषि आराजी 150 पर पहुंचते है। विपक्षी सं. 01 ने उक्त कृषि भूमि खरीद कर पूर्व खातेदार के बजाय अपने नाम पर दर्ज करवा दी। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण से अनावश्यक द्वेषता रखते हुए अपनी कृषि आराजी ... लगातार (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर
	पर बने हुए रास्ते पर बिना विधिक कारण के अपनी कृषि आराजी पर बाउण्ड्रीवाल बनाने की नियत से वर्षों पूर्व बने रास्ते को नष्ट करने पर आमदा होकर कच्ची दिवार बनाना प्रारम्भ कर दिया जिससे प्रार्थीगण वर्षों पूर्व बने रास्ते से महरूम हो गए है। विपक्षी संख्या 01 का उक्त कृत्य राज0 अभिनियम काश्तकारी प्रावधानों के विपरीत है। विपक्षी द्वारा रास्ते को बन्द कर दिया जिससे प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजीयात का उपयोग नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि आराजीयात पर पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विपक्षी सं. 1 के द्वारा दिनांक 28/5/2022 को उक्त रास्ते में कटीली झाड़िया व पत्थर डाल दिए व रास्ता अवरूद्ध कर दिया, जिससे प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजीयात का उपयोग हकाई-जुताई व कृषि उपकरण ले जाने में भारी समस्या आ रही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 के खसरा संख्या 180 के पूर्व से पश्चिम के सहारे सहारे व प्रार्थीगण खसरा संख्या 187, 185 से विपक्षी सं. 01 की आराजी के सहारे-सहारे प्रार्थीगण की कृषि आराजी 150 पर पहुंचते है, जिससे 12 फीट का रास्ता बिलानाम रास्ता दर्ज कर डी एल सी रेट की दुगनी राशि का मुआवजा निर्धारण कर विपक्षीया को दिलाया जावे। ......लगातार (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ______________ मुकाम ______________

______________ बनाम ______________

...स्म मुकद्दमा ______________ नं. ______________ सन् ______________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 के जरिए अधिवक्ता सत्यनारायण मांली उपस्थिति दी लेकिन विपक्षी अथवा अधिवक्ता विपक्षी के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 15/5/2024 को इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश किए गए। तहसीलदार बस्सी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बस्सी द्वारा जरिए क्रमांक/रीडर/वि.के.390/24/2024/04 दिनांक 04/07/2024 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदार बस्सी के द्वारा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात ग्राम पिपलियाखुर्द आ.नं. 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151 कीता 16 रकबा 6.76 हे. एवं आ.नं. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 कीता 09 रकबा 3.02 हे. भूमि पर आने-जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है तथा किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का ... लगातार (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म

अतिरिक्त श्रम नहीं हो रहा है। विपक्षी की आराजी नं. 180 रकबा 1.5000 हे. मे से 0.15 हे. रास्ते हेतु उपयोग मे आयेगा। ग्राम पिपलियाखुर्द की डी एल सी ₹ 677837/- प्रति हेक्टेयर होकर प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.15 हे. की डी एल सी दर का दुगुना करने पर राशि 203400/- रूपये बनेगी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। विपक्षी द्वारा किसी प्रकार का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार तहसीलदार बस्सी से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्पष्ट एवं उचित प्रतीत होती है, जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हस्ब मौका रिपोर्ट तहसीलदार बस्सी स्वीकार किया जाकर ग्राम पिपलियाखुर्द प० ह० लोनगा तहसील बस्सी स्थित आराजी संख्या 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151 कीता 16 रकबा 6.76 हे. तथा आ. नं. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 कीता 9 रकबा 3.02 हे. पर आने जाने हेतु ग्राम पिपलियाखुर्द की आराजी संख्या 180 रकबा 1.50 हे. मे से 0.15 हे. की डी एल सी दर से दो गुना राशि 203400.00 रूपये का भुगतान सम्बन्धित खातेदार को किए जाने पर आ. नं. 180 रकबा 1.50 हे. मे 0.15 हे. भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती है एवं उक्त भूमि को किस्म रास्ता दर्ज

---- लगातार

(नीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

नम्बर अहकाम तारीख हुक्म और मय हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि राशि 203500.00 रुपये का भुगतान खिवट संख्या 01 को किए जाने हेतु खिवट संख्या 01 श्रीमती श्यामकंवर पत्नी सूर्यसिंह राजपूत निवासी राजपुरा के नाम का ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी को प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को ड्राफ्ट सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद इस न्यायालय को भिजावें। तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी से प्राप्ति रसीद प्राप्त होने पर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है, के साथ निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार बून्दी को लिखा जावे कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा अनुसार रेकार्ड में तरमीम किया जावे। निर्णय लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से जमा हो। (हस्ताक्षर) (बीनू देवन) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली (राज.)	